

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 311/2016

बउनवान

विनोद पुत्र रणजीत जाति—मीना निवासी—बालुन्दा
तहसील—मोंगरोल जिला—बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार, मोंगरोल



सत्यमेव जयते

(अपीलांट)

Web Copy - Not Official

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री मोहम्मद रफीक कुरैशी अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक — 31.01.2018



अपीलांट ने जर्घे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मोंगरोल के आदेश दिनांक 18.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बालुन्दा, तहसील—मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 2560/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की झूठी व मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर बिना सुनवायी व जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है, जुर्माना राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्घे सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकारेकी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त फरमाया जावे।


इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 69/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 69/15 निर्णय दिनांक 23.2.2015 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी चारागाह पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉंगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 06/16 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)